

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~श्री~~ श्री श्रीवल्लभ

बनाम

बालू

221

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

202/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23 18.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>श्रीवल्लभ श्री</u></p> <p>पिता श्री <u>नाथू श्री</u></p> <p>निवासी- <u>विलिया (प.ह. नगरी) बस्ती</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>विलिया</u> (<u>प.ह. नगरी</u>) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>318, 319/1458,</u> <u>321/1459</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.7300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>विलिया (प.ह. नगरी) बस्ती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>318, 319/1458, 321/1459</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.7300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रूपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवल) महासक कलेक्टर एच उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>